



# छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर (Elephant Corridors of Chhattisgarh)



राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान  
जीरो पॉइंट, विधानसभा के पास, बलौदा बाजार रोड,  
रायपुर-493111, छत्तीसगढ़, भारत

# छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर (Elephant Corridors of Chhattisgarh)

2025

टेक्निकल बुलेटिन क्र. 01/2025

© राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर

# छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर (Elephant Corridors of Chhattisgarh)

2025

परिकल्पना एवं मार्गदर्शन

तपेश कुमार झा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक  
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

संकलन एवं आलेख

डॉ मनोज कुमार कश्यप

प्रभारी, जैव विविधता, पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग  
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

तकनीकी सहयोग

अभिषेक मैत्री

वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता  
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

उद्धरण (Citation): रा.व.अ.प्र.सं. (2025). छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर। जैव विविधता, पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।



## दो शब्द....

तपेश कुमार झा, भा.व.से.  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक  
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,  
रायपुर, छ.ग.  
ई-मेल directorsfrti@gmail.com  
फोन नं. -07712285121

एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस) लुप्तप्राय हाथी प्रजातियों में से हैं। वर्तमान में, ये हाथी एशिया के 13 देशों में पाए जाते हैं। इन देशों में, भारत की सीमा के भीतर सबसे बड़ी संख्या (60%) में यह हाथी पाये जाते हैं। भारत में जंगली हाथियों की आबादी पिछले दशक से 28,000 से 30,000 के बीच है। यह आबादी देश के चार प्रमुख हाथी बहुल क्षेत्र में 1,00,000 से 1,20,000 वर्ग किमी के विभिन्न आवासों में पाई जाती है। छ.ग. राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विगत 15 से 20 वर्षों से झारखंड तथा उड़ीसा राज्य से हाथी समूह का आवागमन अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में लगभग 250 हाथी प्रमुखतः सरगुजा (150) तथा बिलासपुर वृत्त में (100) मुख्य रूप से विचरण करते हैं। इसमें से लगभग 60 से 70 हाथी उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से रायगढ़ वनमंडल में एवं 30 से 40 हाथी झारखंड से जशपुर होते हुये धरमजयगढ़ वनमंडल में प्रवेश कर रायगढ़, धरमजयगढ़ तथा कोरबा वनमंडलों के विभिन्न परिक्षेत्रों में विचरण करते हैं।

वन्यजीव कॉरिडोर की परिकल्पना आवास की पट्टियों या आवागमन के मार्गों के रूप में की जाती है, जो अलग-थलग पड़े आवास क्षेत्रों को जोड़ते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि जनसांख्यिकीय विभिन्नता एवं आनुवंशिक व्यवहार्यता में कमी के कारण हाथियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, हाथी कॉरिडोरों को सुरक्षित करना हाथी संरक्षण के लिए एक मुख्य रणनीति है। राज्य वन विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थानों के सहयोग एवं ठोस सहयोगात्मक प्रयासों के कारण, पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर को सफलतापूर्वक चिन्हांकित किया गया है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 09 हाथी कॉरिडोरों को चिन्हांकित कर सूचीबद्ध किया गया है। हाथी कॉरिडोर के चिन्हांकन के पश्चात् मानचित्र के साथ-साथ मैदानी स्तर पर भी सीमाओं को रेखांकित करना एवं कॉरिडोर के भीतर भूमि-उपयोग का आकलन करना महत्वपूर्ण है।


हाथी कॉरिडोर के नेटवर्क के माध्यम से आवास कनेक्टिविटी बनाए रखने के महत्व को देखते हुए, हाथियों की जनसंख्या के अनुरूप हाथी कॉरिडोरों का मूल्यांकन एवं सतत् प्रबंधन करना उचित होगा। इस तरह की केंद्रित निगरानी एवं मूल्यांकन से न केवल कॉरिडोरों की समय पर सुरक्षा हो सकती है, बल्कि हाथियों के आवागमन के पैटर्न को समझने तथा मानव-हाथी संघर्ष के आंकलन में भी सहायता प्राप्त होगी। आशा है यह बुलेटिन हाथियों के संरक्षण के दृष्टिकोण से वन विभाग हेतु सहायक सिद्ध होगा।

(तपेश कुमार झा)



## विषय—सूची

1.	भारत में हाथियों की जनसंख्या एवं विस्तार	1
2.	छत्तीसगढ़ में हाथियों की स्थिति	2
3.	हाथी की प्रवृत्ति एवं रहवास	3
4.	हाथी कॉरिडोर की परिभाषा	4
5.	ग्राउंड-वैलिडेशन और मैपिंग के लिए अपनाई गई विधि	5
6.	वन्यजीव कॉरिडोर में परिवर्तन	5
7.	भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के हाथी कॉरिडोर	7
8.	छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर	
1.	चारमार – जिंगोल	8
2.	नगदरहा – बरौद	9
3.	हाटी– कुदमुरा	10
4.	छाल – करतला	11
5.	करौंधा – रूपुंगा	12
6.	बाल्को – एतमानगर	13
7.	बाल्को – कटघोरा	14
8.	खोड़ – रिहंद	15
9.	घाट पेण्डारी – पकनी	16
9.	हाथी कॉरिडोर का संरक्षण	17
10.	संदर्भ सूची	19





## छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर

### (Elephant Corridors of Chhattisgarh)

विश्व में हाथियों की तीन मौजूदा प्रजातियाँ हैं। उनमें से दो प्रजातियाँ, लोकसोडोंटा अफ्रीकाना और लोकसोडोंटा साइक्लोटिस आफ्रीका में पाई जाती हैं। तीसरी प्रजाति, एलीफस मैक्सिमस एशिया में पाई जाती है। एशियाई हाथियों को बड़े पैमाने पर संकुचन और विखंडन का सामना करना पड़ा है (Leimbgruber et al., 2003)। शेष आबादी "metapopulations" के रूप में होती है। इस तरह के वन्यजीवों के विस्तार को वन्यजीव कॉरिडोरों के नेटवर्क द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। चूंकि भारत में हाथियों का निवास स्थान मानव बहुल क्षेत्र में विस्तृत है, इसलिए कॉरिडोरों के नेटवर्क के माध्यम से आबादी के बीच संपर्क स्थापित करना आवश्यक है। "वन्यजीव कॉरिडोर" भूमि की एक पट्टी है जो दो या दो से अधिक व्यवहार्य निवास स्थानों के बीच वन्य प्राणियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है।

### भारत में हाथियों की जनसंख्या एवं विस्तार

#### (Distribution and Population of Elephants in India) :-

एलीफस मैक्सिमस की वैश्विक आबादी लगभग 50,000 है (Williams et al., 2020)। इसमें से लगभग 30,000 (>60%) हाथी भारतीय सीमा में पाए जाते हैं। भारत में हाथियों की वितरण सीमा लगभग 1,00,000 से 1,20,000 वर्ग किमी है। भारत में हाथी अलग-अलग क्षेत्रीय रूपांतरों के साथ चार व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी, उत्तर-पूर्व, पूर्व-मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जंगली हाथियों की एक छोटी आबादी है। क्षेत्र विशेष के अनुसार हाथियों की जनसंख्या का विवरण सारणी-1 में दिया गया है।

#### सारणी-1 : हाथी गणना, 2017 के अनुसार विभिन्न राज्यों में हाथियों की जनसंख्या अनुमान

क्र.	क्षेत्र	राज्य	संख्या
1.	उत्तर (Northern)	उत्तराखण्ड	1839
2.		उत्तरप्रदेश	232
3.		बिहार	—
4.		हरियाणा	07
5.		हिमाचल प्रदेश	07
6.	उत्तर-पूर्व (North-East)	असम	5719
7.		अरुणाचल प्रदेश	1614
8.		मेघालय	1754
9.		नागालैण्ड	446
10.		मणीपुर	09
11.		पश्चिम बंगाल	488
12.		मिजोरम	07
13.		त्रिपुरा	102
14.	पूर्व-मध्य (East-Central)	उड़ीसा	1976
15.		झारखण्ड	679



16.		दक्षिण पश्चिम बंगाल	194
17.		छत्तीसगढ़	247
18.		मध्यप्रदेश	07
19.	दक्षिण (Southern)	कर्नाटक	6049
20.		केरल	5706
21.		तमिलनाडु	2761
22.		आंध्रप्रदेश	65
23.		महाराष्ट्र	06
24.	द्वीप (Island)	अण्डमान निकोबार	—

आंकड़ों का स्रोत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इण्डिया-2023.

## छत्तीसगढ़ में हाथियों की स्थिति

छ.ग. राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 100 वर्ष के पूर्व ही हाथी पाये जाते थे, परन्तु विगत 15 से 20 वर्षों से झारखंड तथा उड़ीसा राज्य से हाथी समूह का आवागमन अधिक हो गया है। वर्तमान में लगभग 250 हाथी छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुखतः सरगुजा (150) तथा बिलासपुर वृत्त में (100) मुख्य रूप से विचरण करते हैं। इसमें से लगभग 60 से 70 हाथी उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से रायगढ़ वनमंडल में एवं 30 से 40 हाथी झारखंड से जशपुर होते हुये धरमजयगढ़ वनमंडल में प्रवेश कर रायगढ़, धरमजयगढ़ तथा कोरबा वनमंडलों के विभिन्न परिक्षेत्रों में विचरण करते हैं। उपरोक्त हाथी में से अधिकांश हाथी वर्षा ऋतु में वापस उड़ीसा या झारखंड जाकर वर्षा ऋतु के अंत में पुनः वापस बिलासपुर वृत्त में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हाथी-मानव द्वंद घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे राज्य में जनहानि, हाथी मृत्यु के साथ-साथ फसल हानि में लगातार वृद्धि देखी गई है।

छत्तीसगढ़ वन विभाग के आंकड़े तथा एकत्र जानकारी के आधार पर, वर्ष 2012 से 2021 के दौरान 15 वनमण्डलों तथा 4 संरक्षित क्षेत्रों में 250 से 300 की अनुमानित आबादी के साथ हाथियों की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। इसमें



वयस्क लिंग अनुपात (नर : मादा) 1 : 4 पाया गया है, इसमें से लगभग 44% मादा हाथी प्रजनन करने योग्य थी, जिनकी औसत उम्र 15 वर्ष से अधिक की थी। उक्त मादा हाथियों का अनुमानित प्रजनन दर 0.29 था, जिसमें औसत अंतराल 3 से 4 वर्ष का था। हाथियों के समूह का आकार औसतन 10 से 11 की संख्या का रहा है, जो कि विभिन्न स्थलों एवं माह में अलग-अलग थे। छत्तीसगढ़ में हाथियों की आबादी सांख्यिकीय रूप से उड़ीसा तथा झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से

जुड़ी हुई है, और राज्य के भीतर वे मानव बहुल परिदृश्यों में, कई बिखरे हुए समूहों में पाए जाते हैं। समय के साथ इन समूहों का विखंडन तथा अलगाव जनसंख्या के जैविक दबावों के प्रति संवेदनशील बनाता है (L. Natrajan et al., 2023)।



## हाथी की प्रवृत्ति एवं रहवास

हाथी समूह की मुखिया मादा हाथी होती है। हाथी समूह में मादा हाथी नर हाथी एवं शिशु हाथी भी रहते हैं। समूह



संबंधी समस्त निर्णय मुखिया हाथी लेती है। नर हाथी का मुख्य कार्य पुनरूत्पादन होता है। समूह के किसी नर हाथी द्वारा अन्य हाथियों को समस्या पैदा करने की स्थिति में समूह मुखिया द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता है। इस प्रकार अकेले/दंतेल नर हाथी समूह से बाहर होकर समूह के आस-पास में विचरण करते हुये समूह से पुनः जुड़ने का प्रयास करते हैं। उक्त विचरण के दौरान अकेले/दंतेल हाथी, समूह के आगे या पीछे विचरण करते हुये ग्राम के समीप में उपलब्ध चारा, फल, धान आदि को

खाते हैं। ऐसे में उक्त समय अकेले/दंतेल हाथी अपने सामने आने वाले किसी मानव या कभी-कभी जानवर को भी कुचलकर मार देता है।

हाथी समूह कुछ विपरीत परिस्थिति छोड़कर सामान्यतः शांत रहता है तथा किसी प्रकार की जनहानि नहीं करता है। परन्तु अकेले/दंतेल हाथी अत्यधिक आक्रामक एवं खतरनाक होते हैं, जो भी उनके सामने जाते हैं वह उनको मारता है। हाथी दिन में लगभग 18 घंटा खाने में, 2 घंटा पीने या खेलने में शेष 4 घंटा सोने में समय बिताता है। एक हाथी द्वारा

औसतन 150 किलो चारा खाया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार हाथी द्वारा 100 से अधिक वनस्पति प्रजाति खायी जाती है। हाथी अपने भोजन के रूप में लगभग 50 प्रतिशत घास प्रजाति, 35 प्रतिशत पत्ते, जड़, डालियां एवं झाड़ियां आदि से तथा 15 प्रतिशत वृक्षों की छाल से प्राप्त करता है। हाथी द्वारा



खाये जाने वाले प्रजाति सीजन, तथा क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि, विभिन्न वनमंडलों में विभिन्न सीजन में हाथी द्वारा कौन सी प्रजाति खाई जा रहे हैं, इस संबंध में अध्ययन कर तदानुसार वन क्षेत्र से अधिक चारा उत्पादन हेतु प्रयास करना चाहिये।

हाथी द्वारा प्रतिदिन 200 लीटर पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही वे अपनी शरीर पर मिट्टी डालकर बिमारी को रोकना तथा गर्मी से बचाने का प्रयास करते हैं। इस हेतु बड़े-बड़े तालाब जहां मिट्टी भी उपलब्ध है, वहां पानी पीने के साथ-साथ पानी एवं मिट्टी को अपने शरीर पर डालता है। अतः हाथी के लिये बड़े जल स्रोत जहां मिट्टी भी उपलब्ध है विकसित करना चाहिये।



हाथी की सुंघने एवं सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। हाथी में अल्ट्रा साउंड के माध्यम से दूसरी हाथी को सूचना भेजने की शक्ति होती है। परन्तु छोटे आंख के कारण हाथी बहुत दूर तक देख नहीं पाते हैं। अतः हाथी के कमजोर दृष्टि को ध्यान में रखते हुये हाथी के सामने आने की स्थिति में शीघ्र पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करना चाहिए। सुंघने की शक्ति अधिक होने के कारण महुआ शराब पीने के स्थान में हाथी जल्दी पहुंच जाते हैं। हाथी एक दिन में 25 से 30 कि.मी. की दूरी तय करता है। उनके पांव से बहुत ही कम आवाज होती है। अतः हाथी शीघ्र एक स्थान से दूसरी स्थान तक कम आवाज करते हुए पहुंचने की क्षमता रखता है।

हाथियों के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी कॉरिडोर को सुरक्षित करना हमेशा से एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी हाथी टास्क फोर्स रिपोर्ट (जिसे गजह रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है) में 88 हाथी कॉरिडोर सूचीबद्ध किये गये थे। अप्रैल, 2022 में हाथी संचालन समिति की बैठक के दौरान, यह परिलक्षित हुआ कि गजह रिपोर्ट 13 साल पहले प्रकाशित हुई थी तथा वर्तमान में भारत में हाथी कॉरिडोर की स्थिति को मैदानी स्तर पर सत्यापित करना आवश्यक है। जिसके तारतम्य में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा भारत के विभिन्न हाथी कॉरिडोर का सर्वेक्षण कर वर्ष 2023 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

### हाथी कॉरिडोर की परिभाषा (Definition of Elephant Corridor) :-

“हाथी कॉरिडोर” भूमि की एक पट्टी है जो दो या दो से अधिक व्यवहार्य निवास स्थानों के बीच हाथियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। व्यावहारिक/वास्तविक निवास स्थान से जुड़े बिना हाथियों को वन निवास से दूर मानव क्षेत्र में ले जाना हाथी कॉरिडोर नहीं माना जा सकता है।



इस लेख में सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार हाथियों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने वाले हाथी कॉरिडोर को “सक्रिय कॉरिडोर” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वन विभाग द्वारा हाथी कॉरिडोर जहां हाथियों का आवागमन लगभग नगण्य है। उन्हें “निष्क्रिय” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय हाथी कॉरिडोर के लिए हाथियों द्वारा कॉरिडोरों के वर्तमान उपयोग की विभिन्न श्रेणियों का भी उल्लेख किया गया है।



## ग्राउंड-वैलिडेशन और मैपिंग के लिए अपनाई गई विधि

### (Approach followed for ground-validation and mapping) :-

कॉरिडोर के सत्यापन हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा हाथी कॉरिडोरों की सूची भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून को उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही वर्ष 2010 की गजह रिपोर्ट में सूचीबद्ध हाथी कॉरिडोरों का संदर्भ भी संस्थान द्वारा सत्यापन हेतु लिया गया है। इस लेख में छत्तीसगढ़ से संबंधित हाथी कॉरिडोरों का विवरण दिया गया है। सत्यापन के बाद रिपोर्ट में प्रस्तुत मानचित्र तथा सारणी तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग से हाथी कॉरिडोरों के आंकड़े प्राप्त कर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के हाथी कॉरिडोर की पहचान कर सूचीबद्ध किया गया है। चिह्नंकित हाथी कॉरिडोर को वन विभाग के क्षेत्रीय अमले और गजराज परियोजना के कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा मान्य किया गया है, जिसमें स्थानीय विशेषज्ञ तथा ग्रामवासी भी शामिल है। आंकड़ें एवं मानचित्र भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा प्रकाशित एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ इण्डिया, 2023 से लिये गये हैं।

इस लेख में प्रस्तुत मानचित्र में हाथी कॉरिडोर की केवल सांकेतिक दिशा दर्शायी गयी है। वन आवरण मानचित्र का उपयोग आधार परत के रूप में किया गया है। हाथी कॉरिडोर की सीमाओं का सीमांकन नहीं किया गया है।



हाथी कॉरिडोरों की सुरक्षा एवं इसके सतत् प्रबंधन हेतु हाथियों के आवासों का सुधार तथा हाथी कॉरिडोरों का निरंतर मूल्यांकन एवं निगरानी महत्वपूर्ण है। राज्य को प्राथमिकता के साथ हाथी कॉरिडोरों की सीमाओं का निर्धारण कर उन्हें अपनी संबंधित कार्य योजनाओं और प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

### वन्यजीव कॉरिडोर में परिवर्तन (Changes in Wildlife Corridors) :-

विश्व स्तर पर, मानव विकास के फलस्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्यजीव आवासों का विखंडन, संकुचन तथा क्षरण हो रहा है। इन परिवर्तनों का जैव विविधता संरक्षण पर व्यापक प्रभाव हुआ है। वन्यजीव आवासों के विखंडन से लुप्तप्राय वन्यजीव आबादी के बने रहने पर दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं। वन्यजीवों के कई प्रजातियों की दीर्घकालिक प्रभुता उनकी क्षमता पर निर्भर करती है, ऐसे मानव-प्रधान परिदृश्यों में वन्यजीवों का आवागमन अक्सर कॉरिडोरों के नेटवर्क द्वारा सुविधाजनक होता है।



वन्यजीव कॉरिडोरों को अलग-अलग शब्दों में संदर्भित किया गया है, जैसे 'conduits', 'landscape linkages', 'stepping stones', 'green belts', 'green ways' (Bennet, 2003)। उक्त समस्त अलग-अलग शब्दों से स्पष्ट है कि वन्यजीव कॉरिडोर अनिवार्य रूप से एक परिदृश्य लिंकेज हैं जो खंडित परिदृश्यों में आवासों के बीच वन्यजीव को आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं। चूंकि कॉरिडोर वन्यजीवों को आवास विखंडन के खतरों से बचाने में प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद हैं, इसलिए ये वन्यजीव संरक्षण के लिए आधारशिला बन गए हैं। वन्यजीव कॉरिडोर आवास क्षेत्रों के मध्य पारगम्यता बनाए रखने और वन्यजीवों की आवागमन को सुगम बनाने में मदद करते हैं।

भारत में हाथियों के आवासों को सतत बनाए रखने में हाथी कॉरिडोर का अत्यधिक महत्व है। रेडियो-टेलीमेट्री और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हाथियों का निवास क्षेत्र 100 से 3,000 वर्ग किमी तक फैला हुआ है (Sukumar, 2003)। सर्वप्रथम भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) द्वारा वर्ष 2005 में अधिकारिक रूप से "Right of Passage : Elephant Corridors of India" के रूप में लाया गया। इसके पश्चात् केन्द्र शासन के हाथी टास्क फोर्स ने 2010 में प्रकाशित गजह रिपोर्ट में भारत के 88 हाथी कॉरिडोरों को सूचीबद्ध किया गया। हाथी कॉरिडोर पर इन प्रकाशित रिपोर्टों के अतिरिक्त, हाथी रेंज वाले वनमण्डलों द्वारा भी कॉरिडोरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हाथियों की निगरानी तथा



पहचान प्रारंभ किया गया। विभिन्न राज्यों द्वारा वनमण्डलों की कार्य योजनाओं तथा संरक्षित क्षेत्र की प्रबंधन योजनाओं में कॉरिडोर प्रबंधन को भी सम्मिलित किया गया है।

इस लेख में, हाथी कॉरिडोर को उन मार्गों के रूप में दर्शाया गया है जिनका उपयोग हाथी घरेलू सीमा के भीतर आवास-उपयोग, मौसमी प्रवास


और फैलाव सहित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवागमन हेतु करते हैं। यदा-कदा हाथियों का नवीन क्षेत्रों में आवाजाही, जहां हाथियों की आबादी के विकास हेतु व्यवहार्य आवास नहीं हैं, को कॉरिडोर नहीं माना जाता है।

इस लेख में, हाथी कॉरिडोरों को आवास क्षेत्र को जोड़ने वाले सांकेतिक मार्गों के रूप में दर्शाया गया है। लेख में दर्शाये गये हाथी कॉरिडोरों की लंबाई एवं चौड़ाई सांकेतिक है। कॉरिडोरों को सटीक आयाम प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य द्वारा हाथी कॉरिडोर की सीमाओं का रेखांकन नहीं किया गया है। हाथी कॉरिडोरों के सांकेतिक स्थान के आधार पर यह वांछित है कि वन विभाग कॉरिडोरों के आसपास के वन क्षेत्रों को हाथियों की आवाजाही, भूमि-उपयोग तथा मानव-हाथी संघर्ष के आंकड़ों के आधार पर कॉरिडोरों की सीमाओं का सीमांकन करें।

प्रोजेक्ट एलिफेंट द्वारा नामित टीमों द्वारा किए गए सत्यापन सर्वेक्षण तथा विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर कॉरिडोरों में हाथियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए हाथी कॉरिडोरों की पहचान भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ वन विभाग के परामर्श तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। हाथी कॉरिडोर संभावित रूप से हाथियों के वितरण, बहुतायत, आवास विन्यास और अन्य परिदृश्य विशेषताओं जैसे कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के रिपोर्ट भारत के हाथी कॉरिडोर-2023 में छत्तीसगढ़ के 09 हाथी कॉरिडोर की पहचान कर सूचीबद्ध किया गया है, जिसका विवरण आगे दिया गया है।




## भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के हाथी कॉरिडोर





## 1. चारमार – जिंगोल हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	धरमजयगढ़ से रायगढ़ वनमण्डल एवं पूर्व की ओर उड़ीसा तक
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 20 कि.मी., चौड़ाई – 2.5 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.134361, 83.219990 22.061002, 83.406998
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	1264P, 1267, 1263P, 1253P, 1268, 1269, 1252P, 1270, 1273, 1272, 1244P, 1276, 846, 847, 848, 849, 850P, 842P, 838
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	डेहराडीह, चारमार, छर्टाटनगर, अमलीडीह, समारुमा, कचकोबा, तमनार
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	घरघोड़ा एवं तमनार
पारिस्थितिकीय महत्व	उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के अंदरूनी हिस्सों तक हाथियों के आवागमन हेतु महत्वपूर्ण कॉरिडोर
प्राकृतिक वास	उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (Tropical Dry Deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	80–100
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 2. नगदरहा – बरौद हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमण्डलों के आवासों को जोड़ता है।
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 10 कि.मी., चौड़ाई – 2.5 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.355827, 83.283188 22.297178, 83.364202
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	1286P, 1287, 1312, 1288OA, 1291P, 1289P, 1293, 1292P, 413, 414
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	नगदहरा, पुसल्दा एवं बरौद
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	घरघोड़ा (रायगढ़ वनमण्डल) एवं धरमजयगढ़ (धरमजयगढ़ वनमण्डल)
कारिडोर के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम	निरंतर
पारिस्थितिकीय महत्व	महत्वपूर्ण कॉरिडोर जिसका उपयोग उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के अंदरूनी हिस्सों में जाने वाले हाथियों द्वारा किया जाता है।
प्राकृतिक वास	साल-प्रधान उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (Sal-dominated tropical dry deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	80–100
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





### 3. हाटी- कुदमुरा हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	कोरबा एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 10 कि.मी., चौड़ाई – 3.2 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.35684, 83.04527 22.29613, 83.12690
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	555P, 562, 554, OA1425, OA1424, P1139, OA1423
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	कुरमुरा (कोरबा वनमण्डल), चचिया (कोरबा वनमण्डल), हाटी (धरमजयगढ़ वनमण्डल), समरसिंघा (धरमजयगढ़ वनमण्डल)
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	छाल एवं कुदमुरा
पारिस्थितिकीय महत्व	यह हाथियों द्वारा मांड नदी के पार कोरबा और धरमजयगढ़ वनमण्डलों के बीच आवाजाही के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य कॉरिडोर है।
प्राकृतिक वास	साल-प्रधान उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (Sal-dominated tropical dry deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	80
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 4. छाल – करतला हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	कोरबा एवं धरमजयगढ़ वनमण्डल
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 21 कि.मी., चौड़ाई – 2 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.263807, 82.960300 22.143325, 83.148465
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	512, 513, 506P, 511, 507P, 510, 509P, 508, 541, 542, 543, P1156, OA1468, OA1467, P1154, P1155, P1153, OA1466, 1180, P1149, OA1462, P1150
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	छाल, बंगरसुता (धरमजयगढ़ वनमण्डल) एवं नोनदरहा, छाल भाग, एवं चोरभट्टी (कोरबा वनमण्डल)
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	छाल एवं करतला
पारिस्थितिकीय महत्व	धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमण्डलों में कुछ परिधीय समूह (जो मुख्य रूप से सीमा क्षेत्रों के साथ चलते हैं) मांड नदी को पार करके इस कॉरिडोर का उपयोग करते हैं।
प्राकृतिक वास	उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (Tropical Dry Deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	50–60
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 5. करौंधा – रूपुंगा हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के साथ हाथियों की आवाजाही, जो विच्छेदित है और केवल इस कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 16 कि.मी., चौड़ाई – 3.5 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.49530, 83.08785 22.36575, 83.19266
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	450, 377, 452, 454, 453P, 451P, 476P, 455P, 456P, 457P, 458P, 461P, 462P, 463, 464P, 460P
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	करौंधा एवं रूपुंगा
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	धरमजयगढ़
पारिस्थितिकीय महत्व	इस कॉरिडोर का उपयोग अक्सर हाथियों द्वारा किया जाता है, लेकिन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है।
प्राकृतिक वास	साल-प्रधान उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (Sal-dominated tropical dry deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	50-60
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 6. बाल्को – एतमानगर हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	हसदेव नदी के पार कोरबा और कटघोरा वनमण्डल
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 7.5 कि.मी., चौड़ाई – 1.5 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.58413, 82.54890 22.55741, 82.62051
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	OA736, P529, OA763, OA762, OA1223
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	तानाखार, पाठा, कछार
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	एतमा नगर (कटघोरा) एवं बालको (कोरबा)
पारिस्थितिकीय महत्व	कोरबा एवं कटघोरा वनमण्डलों के बीच हाथियों के आवागमन के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य कॉरिडोर है।
प्राकृतिक वास	साल-प्रधान उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती (Sal-dominated tropical dry deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	80–100
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 7. बाल्को – कटघोरा हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	हसदेव नदी के पार कोरबा और कटघोरा वनमण्डल
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 4.5 कि.मी., चौड़ाई – 1 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	22.52544, 82.62007 22.50223, 82.66176
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	OA 1229, OA 766
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	पोड़ीखोहा, कटघोरा
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	कटघोरा (कटघोरा) एवं बालको (कोरबा)
प्राकृतिक वास	उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (Tropical Dry Deciduous)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	50–60
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 8. खोड़ – रिहंद हाथी कॉरिडोर


सम्बद्धता (Connectivity)	रिहंद नदी के पार गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 13.5 कि.मी., चौड़ाई – 2.5 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	23.774510, 82.693394 23.720701, 82.822966
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	914, 896, 897, 899, 900, 898, P561, P588, P557
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	खोड़, कचिया
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	खोड़ (तमोर पिंगला अभ्यारण्य), बिहारपुर और रिहंद
पारिस्थितिकीय महत्व	यह एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच हाथियों की आबादी को जोड़ता है (सूरजपुर वन मंडल)
प्राकृतिक वास	साल प्रधान शुष्क पर्णपाती वन (Sal-dominated dry deciduous forests)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	40–50
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## 9. घाट पेण्डारी – पकनी हाथी कॉरिडोर

सम्बद्धता (Connectivity)	सूरजपुर से तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य
राज्य	छत्तीसगढ़
सांकेतिक लंबाई एवं चौड़ाई	लंबाई – 3 कि.मी., चौड़ाई – 0.8 कि.मी.
जिओ-कोऑर्डिनेट्स	23.52804, 83.12699 23.51064, 83.15176
कॉरिडोर में आने वाले वन कक्ष	P112, P111, P109
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले बीट	घाट पेण्डारी एवं पकनी
कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र	प्रतापपुर
पारिस्थितिकीय महत्व	यह सूरजपुर एवं तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की हाथी आबादी को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है।
प्राकृतिक वास	साल प्रधान शुष्क पर्णपाती वन (Sal-dominated dry deciduous forests)
मुख्य भूमि उपयोग	वन, कृषि एवं आवासीय
हाथी आवागमन स्थिति	निरंतर
कॉरिडोर में हाथियों की संख्या	40–50
कॉरिडोर की रैखिक संरचना	उपलब्ध नहीं
कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति	सक्रिय (Intensity of use by elephants stable)





## हाथी कॉरिडोर का संरक्षण

### (Conservation of Elephant Corridors) :-

कॉरिडोर के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए, कॉरिडोर में कटे स्थानों को वनों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कॉरिडोर का चौड़ीकरण मुख्यतः हाथियों को नियमित आधार पर राजमार्ग पार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। कॉरिडोर के दीर्घकालिक संरक्षण के साथ हाथियों के आवास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाथी कॉरिडोर के संरक्षण एवं इसके सतत् रूप से प्रबंधन हेतु कुछ महत्वपूर्ण अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों का विवरण निम्नानुसार है :-

### तत्काल/अल्पकालिक समाधान:-

1. **भूमि उपयोग परिवर्तन को रोकना** – कॉरिडोर से जुड़े हुए किसी भी भूमि में उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रतिबंध कॉरिडोर (वन भूमि) सीमा से कम से कम 1 किमी की बफर दूरी के लिए लागू होना चाहिए।
2. **बाधाओं को हटाना** – कॉरिडोर में हाथियों के आवागमन में आने वाले भौतिक बाधाओं को हटाया जाना चाहिए। विशेष रूप से बैरिकेड्स, होर्डिंग्स, सड़क के किनारे की दुकानें और अन्य अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए।
3. **मानव गतिविधि को प्रतिबंधित करना** – कॉरिडोर क्षेत्र के वनों एवं निजी भूमियों में मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
4. **यातायात को धीमा करना** – राजमार्ग में हाथी कॉरिडोर के समीपस्थ स्थानों पर स्पीड ब्रेकर और अन्य बाधाएं लगाकर यातायात को यथासंभव धीमा किया जाना चाहिए।
5. **रात्रि यातायात में नियंत्रण** – राजमार्ग पर रात के समय यातायात को यथासंभव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
6. **पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण** – भवन निर्माण और अन्य संरक्षण उपायों पर पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण के नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
7. **भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए वन विभाग की मंजूरी आवश्यक बनाना** – कॉरिडोर क्षेत्र में भूमि उपयोग परिवर्तन, जिसमें भवन निर्माण, पेड़ों की कटाई, खेतों का रूपांतरण, शासकीय राजस्व भूमि का रूपांतरण, में वन विभाग से सहमति अनिवार्य किया जाना चाहिए।
8. **कॉरिडोर वनों की सुरक्षा में सुधार** – मानवीय गतिविधियों के कारण कॉरिडोर क्षेत्र में वनों का विनाश अत्यधिक होता है। अतः इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।
9. **जलाऊ लकड़ी संग्रहण को विनियमित करना** – कॉरिडोर क्षेत्र में जलाऊ संग्रहण एक मुख्य मानवीय गतिविधि है। इस गतिविधि को नियंत्रित किया जाना अति-आवश्यक है। इस हेतु आश्रितों को वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
10. **हाथियों के शारीरिक नुकसान को रोकना** – जब हाथी फसल के खेतों में प्रवेश करते हैं तो मानव समूहों द्वारा हाथियों को लंबी दूरी तक खदेड़ने की प्रथा आम है। इस गतिविधि पर विशेष ध्यान देते हुए हाथियों को होने वाली किसी भी गंभीर शारीरिक क्षति (हाथियों पर जलते रबर के टायर और पटाखे फेंकना) पर रोक तथा लोगों के वन भूमि में प्रवेश को रोका जाना चाहिए।

उपरोक्त बिना लागत के उपाय हैं, जो अधिकांशतः वनमण्डल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में हैं। अतः इसे कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए लागू किए जाने वाले अनिवार्य उपायों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।



## दीर्घकालिक समाधान :-

1. **कॉरिडोर को चौड़ा करने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण** – कॉरिडोर को सतत बनाने और इसे चौड़ा करने के लिए सबसे प्रभावी विकल्प निजी भूमि का अधिग्रहण एवं उन्हें वन भूमि में जोड़ना है। हाथियों के व्यवहार, मानवीय गतिविधियों, लागत और विकल्पों की व्यवहार्यता के आधार पर कॉरिडोर को औसतन 500 मीटर तक चौड़ा किया जाना चाहिए।
2. **निकटवर्ती निजी भूमि के लिए भूमि उपयोग दिशा निर्देश** – कॉरिडोर से लगी निजी भूमि के लिए भूमि उपयोग दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। भूमि उपयोग कॉरिडोर के दीर्घकालिक संरक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शासन को महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में अनुमेय भूमि के उपयोग हेतु एक स्थायी नीति तैयार की जानी चाहिए।
3. **वन्यजीव क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन** – भूमि उपयोग दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए वन्यजीव क्षेत्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। यह प्राधिकरण आवश्यक है क्योंकि वन्यजीव क्षेत्र में और उसके आसपास की भूमि उपयोग को नियंत्रित करने हेतु कोई विशिष्ट कानून या मौजूदा नीतियां नहीं हैं।
4. **फलाईओवर का निर्माण** – राजमार्ग में हाथी के सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु फलाईओवर का निर्माण किया जाना चाहिए। भविष्य में राजमार्ग के विस्तार और यातायात में वृद्धि के प्रभावों को रोकने के लिए भी फलाईओवर सहायक हो सकता है।
5. **स्थानीय लोगों हेतु वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था** – चूंकि छत्तीसगढ़ के हाथी कॉरिडोर के समीपस्थ निवासरत ग्रामीण विशेष रूप से आदिवासी, जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. **खरपतवार का प्रबंधन** – खरपतवार के प्रबंधन हेतु प्रभावी उपाय विकसित करने के लिए अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से वन विभाग को प्रयास किया जाना चाहिए।
7. **कॉरिडोर मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु योजना** – कॉरिडोर के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु समुचित निगरानी एवं मूल्यांकन योजना तैयार की जानी चाहिए। जिसमें समय-समय पर संकेतकों को मापने, परिवर्तनों की निगरानी तथा तदनुसार प्रबंधन कार्यों को अपनाने की योजना शामिल होनी चाहिए।





## संदर्भ सूची (References) :-

- Bennett, A. F. (2003).** Linkages in the Landscape: The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xiv+ 254 pp.
- Leimgruber, P., Gagnon, J. B., Wemmer, C., Kelly, D. S., Songer, M. A., & Selig, E. R. (2003).** Fragmentation of Asia's remaining wildlands: implications for Asian elephant conservation. *Animal conservation*, 6(4), 347-359.
- Williams, C., S. K. Tiwari, V. R. Goswami, S. De Silva, A. Kumar, N. Baskaran, K. Yoganand, and V. Menon (2020).** "*Elephas maximus*. The IUCN red list of threatened species 2020" Retrieved 12 (2020): 2021.
- Rangarajan, M., Desai, A., Sukumar, R., Easa, P.S., Menon, V., Vincent, S., Ganguly, S., Talukdar, B.K., Singh, B., Mudappa, D. and Chowdhary, S. (2010).** Gajah. Securing the Future for Elephants in India.
- Menon, V., Tiwari, S.K., Easa, P.S. and Sukumar, R. (2005).** Right of Passage: elephant corridors of India, Wildlife Trust of India. Conservation series -3.
- Wildlife Institute of India (2023).** Elephant Corridors of India-2023. Wildlife Institute of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 1-183.
- L. Natarajan, Kumar A., Nigam P. and Pandav B. (2023).** An Overview of Elephant Demography in Chhattisgarh (India). *Journal of the Bombay Natural History Society* Volume 120, January-April 2023.





प्रकाशन एवं सर्वाधिकार –



**राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान**

जीरो पॉइंट, विधानसभा के पास, बलौदा बाजार रोड,  
रायपुर-493111, छत्तीसगढ़, भारत

फोन: 0771-2285121; ईमेल: [directorsfrti@gmail.com](mailto:directorsfrti@gmail.com)

टेक्निकल बुलेटिन केवल वितरण हेतु - विक्रय के लिए नहीं